

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26112022-240607
SG-DL-E-26112022-240607असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्राहायण 4, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 361
No. 523]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944	[N. C. T. D. No. 361

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (पुलिस-II) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

सं. फा. 8/174/2022/गृह पु.-II/2772-2785.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च 1974 की अधिसूचना सं. 11011/2/74- यूटीएल (i) के साथ पठित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा श्री अखण्ड प्रताप सिंह, अधिवक्ता को मकोका अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. सं. 16 दिनांक 12.02.2018, पुलिस थाना स्पैशल सैल द्वारा पंजीकृत मकोका मामले में ट्रायल कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
राजन भटनागर, उप-सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 25th November, 2022

No. F. 8/174/2022/HP-II/2772-2785.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Competent Authority, is pleased to appoint Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate as Special Public Prosecutor in the Trial Court in MCOCA case registered vide FIR no. 16 dated 12.02.2018 U/s 3/4 MCOC Act, P.S Special Cell.

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
RAJAN BHATNAGAR, Dy. Secy. (Home-II)